पत्रांक 2ब०/नि०निर्वा०आ०–19–02/2008 2166 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं०– 194, दिनांक– 28.12.2016 तथा आवंटनादेश सं०– 195, दिनांक– 28.12.2016 एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 247, दिनांक– 09.03.2017 तथा आवंटनादेश सं०– 248, दिनांक– 09.03.2017 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों हेतु राज्य के 38 जिलों के जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को राशि आवंटित की गयी है। उक्त राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों की कंडिका– 8 में यह उल्लेख किया गया है कि राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

2. जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना के पत्रांक– 321, दिनांक– 02.03.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है कि निर्वाचन मद में आवंटित राशि की निकासी AC विपत्र पर करने की अनुमति प्रदान की जाय, क्योंकि अप्रैल–मई, 2017 में नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन प्रस्तावित है।

3. चूँकि यह समस्या सभी जिलों में समान रूप से आ रही है, इसलिए उक्त अनुरोध के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक– 2561, दिनांक– 17.04.1998 के कंडिका– 15 के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुए विभागीय राज्यादेश सं०– 194, दिनांक– 28.12.2016 तथा आवंटनादेश सं०– 195, दिनांक– 28.12.2016 एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 247, दिनांक– 09.03.2017 तथा आवंटनादेश सं०– 248, दिनांक– 09.03.2017 की कंडिका– 8 में अंकित शब्दावली "राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी" को विलोपित किया जाता है। साथ ही निर्वाचन कार्य हेतु AC विपत्र पर अग्रिम निकासी की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में AC विपत्र द्वारा निकासी की गयी राशि का DC विपत्र, महालेखाकार को भेजने संबंधित प्रमाण–पत्र विपत्र के साथ कोषागार को प्रेषित किया जाय तथा इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वर्तमान में AC विपत्र पर निकासी की जाने वाली राशि का DC विपत्र भी ससमय महालेखाकार को समायोजन हेतु समर्पित किया जाय।

4. उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

21.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/नि०निर्वा०आ०–19–02/2008 2166 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

D:\Kamlesh\Section - 2 (16-17)\Dharmendra\Sudhi Patra.docx